प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 503/2023

अनवान : –

1. बजरंग पुत्र श्योलाल जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सागर पुत्र श्योलाल जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नारायण पुत्र श्योलाल जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सुखराम पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रामलाल पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. चुनीलाल पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. केशराराम पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 19.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता संख्या 318/306 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 15.9340 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 26177/119505 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक के नाम 1195/23901 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में से वादी की बहिन दुर्गा ने अपनो सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा भूमि का त्याग कर दिया था तथा वादी ने विरास्तन प्राप्त हुई भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी घरेलु आवश्यकता के कारण बेचान कर दिया इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहखातेदारों में दर्ज नहीं होने के कारण से वादी की बहिन द्वारा जब अपना हक हिस्सा का त्याग किया गया तो भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता संख्या 318/306 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 15.9340 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4/15 हिस्सा की बजाये 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 26177/119505 हिस्सा की बजाये 32247/159340 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के प्रत्येक के नाम दर्ज 1195/23901 हिस्सा की बजाये प्रत्येक के 29211/637360 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं वादी के 1/20 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता संख्या 318/306 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 15.9340 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4/15 हिस्सा की बजाये 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 26177/119505 हिस्सा की बजाये 32247/159340 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के प्रत्येक के नाम दर्ज 1195/23901 हिस्सा की बजाये प्रत्येक के 29211/637360 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल एवं पक्षकारान का राजीनामा मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांव के [illegible] पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रति[illegible] वाद को स्वीकार करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:11 IST
Reason: SelfAttested

इकबाल एवं पक्षकारान का राजीनामा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता संख्या 318/306 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 15.9340 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 26177/119505 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक के नाम 1195/23901 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया किया गया है की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पक्षकारान के आपसी राजनीरामा तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीरामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता संख्या 318/306 की कुल 15.9340 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4/15 हिस्सा की बजाये 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 26177/119505 हिस्सा की बजाय 32247/159340 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के प्रत्येक के नाम दर्ज 1195/23901 हिस्सा की बजाये प्रत्येक के 29211/637360 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं वादी को 1/20 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 503/2023

अनवान : –

1. बजरंग पुत्र श्योलाल जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सागर पुत्र श्योलाल जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नारायण पुत्र श्योलाल जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सुखराम पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रामलाल पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. चुनीलाल पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. केशराराम पुत्र हनुमान जाति नाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 503 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता संख्या 318/306 की कुल 15.9340 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4/15 हिस्सा की बजाये 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 26177/119505 हिस्सा की बजाय 32247/159340 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के प्रत्येक के नाम दर्ज 1195/23901 हिस्सा की बजाये प्रत्येक के 29211/637360 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं वादी को 1/20 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा